ओवरव्यू (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

इस प्रतिवेदन में दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पी.एज) तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों से संबंधित ₹ 681.26 करोड़ से आवेष्टित 23 अनुच्छेद शामिल हैं। लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित किए जाने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा 2016-17 के दौरान 45 मामलों में ₹ 5.60 करोड़ की राशि वसूल की गई थी।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने योजना बनाने की कमी, वित्तीय प्रबंधन में कमियां, संबंद्ध कॉलेजों में मूलभूत संरचना तथा शैक्षिक मानकों को लागू न करना, मानवशक्ति तथा कक्षाओं में मूलभूत संरचना की कमियां प्रकट की जिसने विश्वविद्यालय की समग्र उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता को क्षीण कर दिया। हरियाणा में जेलों का प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने आयोजना, वित्तीय प्रबंध, रक्षा, सुरक्षा, कैदियों को सुविधाएं और विशेषाधिकार और पुनर्वास प्रदान करने में कमियां की जिन्होंने विभाग के उद्देश्यों को दुर्बल बना दिया।

भारतीय खाद्य निगम से दावों की वसूली न होना तथा ब्याज का अतिरिक्त भार, जल संचयन संरचना तथा सामुदायिक केन्द्र के निर्माण पर निष्फल व्यय, प्रचार एवं विज्ञापन पर अनियमित व्यय, निर्माण कार्य कार्मिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर निधियों का अनुप्रयोग न होना, अधूरे कार्य पर निष्क्रिय व्यय, कलोरीनेशन प्लांटों की खरीद में अनियमितताएं तथा राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं रख-रखाव, गंगा नदी के कायाकल्प में अनियमितताएं, कौशल विकास के लिए तकनीकी संस्थानों में मूलभूत संरचना के विकास में अनियमितताएं, चूककर्ता विकासक से सरकारी देयों की वसूली में विफलता, निष्क्रिय व्यय, अपूर्ण पुनर्नवीनीकरण सीवरेज जल वितरण पाईपलाइन, व्यावसायिक कालोनी लाईसेंस की अनियमित प्रदानगी, अधिक पाईपों की खरीद, एजेंसी को अदेय लाभ, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में अनियमितताएं तथा छात्रवृत्तियों के संदिग्ध कपटपूर्ण भुगतान के दृष्टांत थे।